राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–811/2013/श्रीगंगानगर
2. अपील संख्या–812/2013/श्रीगंगानगर

मैसर्स रमेश कुमार बंसल, श्रीगंगानगर। .....प्रार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर। .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.07.2017

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 445 एवं 446/आरवेट/श्रीगंगानगर/2011–12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 के जरिये पूर्व में स्वीकृत ईसी को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किये जाने को, अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपील संख्या 811/2013 में अपीलार्थी ठेकेदार को "उपखण्ड हनुमानगढ़ टाउन के अधीन विस्तार जल योजना 7 आर.पी–ए कक के अन्तर्गत रिमोडलिंग ऑफ रॉ–वाटर कनवैन्स सिस्टम, सम्पवैल, स्टोरेज टैंक, एसएसएफ, सीडब्ल्यूआर, जीएलआर, पंप हाउस, पम्पिंग मशीनरी, राईजिंग मैन पाईप की आपूर्ति एवं जोडना व बिछाने का कार्य, उच्च जलाशय क्षमता 300 कि.ली. 18 मीटर स्टेजिंग, चार दिवारी का निर्माण कार्य" ईसी नंबर 2991/49 जो 1.50 प्रतिशत की दर से जारी की गयी थी। तत्पश्चात निर्धारण अधिकारी ने वर्क आर्डर में दिए गए कार्यों की प्रकृति का पुनः अवलोकन करने पर पाया कि पूर्व में जारी 1.50 प्रतिशत ईसी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम नं0 2 के अनुसार जारी कर दी जबकि ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य अधिसूचना के आईटम नं0 3 में कवर होने के कारण करमुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत देय है। इस संबंध में पूर्व में जारी ईसी को संशोधित करने हेतु धारा 33 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी की ओर से दिए गये तर्को को अस्वीकार करते हुए एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 13.12.2011 (S.B. Civil Misc STR No. 107/2010 मै. रमेश कुमार बंसल कॉन्ट्रेक्टर श्रीगंगानगर बनाम सीटीओ श्रीगंगानगर) के मामले में जारी ईसी को संशोधित करने को अधिकृत मानने के आधार पर पूर्व में जारी ईसी क्रमांक 2991/49 में संशोधन करते हुए

.....2.

1.50 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत की दर से कुल ठेका राशि रूपये 4,69,35,405/– पर ईसी फीस रूपये 10,56,047/– निर्धारित की गयी।

इसी प्रकार अपील संख्या 812/2013 में ईसी ठेकेदार व्यवसायी को अवार्डर द्वारा रिमोडलिंग ऑफ रॉ–वाटर कनवैन्स सिस्टम, सम्पवैल, स्टोरेज टैंक, एसएसएफ, सीडब्ल्यूआर, जीएलआर, पंप हाउस, आदि कार्य के लिए दिए गये ठेके के संबंध में व्यवसायी द्वारा ईसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2009 को 1.50 प्रतिशत की दर से ईसी क्रमांक 2991/27 जारी की गयी। तत्पश्चात व्यवसायी को जारी आवंटित कार्य का पुनः अवलोकन करने पर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि पूर्व में जारी 1.50 प्रतिशत ईसी राज्य सरकार द्वारा ईसी से संबंधित जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम नं0 2 के अनुसार जारी कर दी, जबकि ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य अधिसूचना के आईटम नं0 3 में कवर होने के कारण करमुक्ति शुल्क 2.25 प्रतिशत देय है। इस संबंध में पूर्व में जारी ईसी को संशोधित करने हेतु धारा 33 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी की ओर से दिए गये तर्को को अस्वीकार करते हुए एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 13.12.2011 के संदर्भ में अस्वीकार्य मानते हुए ईसी को संशोधित करने को अधिकृत मानने के आधार पर पूर्व में जारी ईसी क्रमांक 2991/27 में संशोधन करते हुए 1.50 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत की दर से कुल ठेका राशि रूपये 1,12,73,855.87 पर ईसी फीस रूपये 2,53,662/– निर्धारित की गयी। उक्त दोनों संशोधन आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.02.2013 द्वारा व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ई.सी. आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात अपीलान्ट को 1.5 प्रति. से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया है और अपीलान्ट द्वारा इसी आधार पर मुक्ति शुल्क जमा करवा कर कार्यसंविदा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार सुविचारित तरीके से जारी ई.सी. को बाद "चेन्ज ऑफ ओपीनियन" के आधार पर नहीं बदला जा सकता। अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1. **टैक्सवर्ल्ड वॉल्यूम 36 पेज 67 मैसर्स इलेक्ट्रो मेकेनिकल बनाम अति. आयुक्त**
2. **टैक्सअपडेट वो0 44 पार्ट–1 (2016) पेज 39 सीटीओ बनाम मै0.पेनार इण्ड. लि. (राज. उच्च न्यायालय)**
3. **सैल्स टैक्स केसस वो0 105 पेज 373 मै. प्यूरोलेटर इण्डिया लि. बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)**
4. **वैट एण्ड सर्विस टैक्स केसस (2015) 80 वीएसटी 12 (एससी) वोल्टाज बनाम सरकार**
5. **टैक्सअपडेट वो0 29 पार्ट–7 (2011) पेज 253 एसीटीओ बनाम मक्कड प्लास्टिक एजे. (एससी)**
6. **टैक्स अपडेट वो0 15 पार्ट–8 (2006) पेज 45 अधिसूचना संख्या एफ.12(63) एफडी /टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.200**
7. **टैक्स अपडेट वो0 31 पार्ट–2 (2011) पेज़ 68 सहा.आयुक्त बनाम यूनिटेक लि.**
8. **टैक्स अपडेट वो0 36 पार्ट–2 (2013) पेज 58 राकेश एन्टरप्राइजेज बनाम सीटीओ**

.....3.

6. विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 33 का दायरा काफी सीमित है, इसके तहत रेकार्ड से प्रत्यक्षदर्शी भूल को ही संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मत भिन्नता अथवा कर दर के अन्तर के आधार पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन्होनें कथन किया कि फैक्ट्री बिल्डिंग के प्रि–फ्रेबिकेट/ प्री इन्जीनियर्ड स्टील शेड भी बिल्डिंग की परिभाषा में ही आते है, जिनके लिये 1.5 प्रति से ईसी जारी किया जाता है। **अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित निर्णय 36 टैक्स वर्ड पेज 67, 105 एसटी 373 का उद्धरण प्रस्तुत किया।** अतः उन्होंने प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

7. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि दोनों प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कार्यादेश की प्रकृति के अनुसार व्यवहारी ठेकेदार को श्रेणीबद्ध किया जाना था और उस श्रेणी हेतु निर्धारित दर के आधार पर ही ई.सी. जारी करना था। यदि भूल से व्यवहारी की श्रेणी गलत निर्धारित हो गई है तो यह रिकार्ड से प्रत्यक्ष दर्शी भूल है न कि सुविचारित निर्णय। अतः रिकार्ड से स्पष्ट भूल को संशोधित करते हुए सही वर्गीकरण कंरते हुए आदेश पारित किया गया है। उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानियों का खारिज करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखने का निवेदन किया।

8. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में पूर्व में व्यवहारी को 1.50 प्रतिशत से जारी ई.सी. को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करते हुए अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन किया है, जबकि व्यवहारी द्वारा लिया गया कार्य पूर्ण किया जा चुका था। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णित किया गया है कि अलत दर का जारी किये गये ई.सी. अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया जा सकता है।** इसी प्रकार विचाराधीन फर्म के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने SB Civil Misc STR No. 107/10 मैसर्स रमेश कुमार बंसल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण में निर्णय दिनांक 13.12.2011 में यह अभिनिर्धारित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी को 11.08.2006 को अधिसूचना के तहत् जारी मुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) का संशोधन करने का अधिकार है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स इण्ड्योर प्रा.लि. के प्रकरण में आदेश दिनांक 07.12.2011 में भी गलत दर से जारी ई.सी. को धारा 33 में संशोधन योग्य माना है।

9. चूकि यह एक रेकार्ड की भूल (apparent mistake on record) है जो Schedule "G" के कार्य की प्रकृति को देखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने 2.25 प्रतिशत से ई.सी. फीस संशोधित कर पुनः निर्धारित की है क्योकि Schedule "G" में दर्शाया गये कार्य की प्रकृति 2.25 प्रतिशत ई.सी. शुल्क के तहत् कवर होती है, अतः व्यवसायी द्वारा उद्धरित माननीय न्यायालयों के निर्णय हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योकि यह प्रत्यक्ष रूप से रेकार्ड की भूल है, जिसे उपरोक्त वर्णित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के आलौक में ई.सी. का संशोधन नियमानुसार किया गया है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी पूर्व में प्रदत्त ई.सी. को अधिनियम की धारा 33 के तहत् संशोधित कर सकते हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना दि 11.08.2006 के अनुसार कार्यादेश की प्रकृति के आधार पर व्यवहारी ठेकेदार को श्रेणीबद्ध किया जाना

.....4.

होता है और उस श्रेणी हेतु निर्धारित दर के आधार पर ई.सी. जारी करना होता है। अतः इन दोनों प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2013 उचित प्रतीत होता है।

11. परिणामस्वरूप उपरोक्त न्यायिक व्यवस्थाओं को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष